न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 30/2021

प्रार्थीगण:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
1 छैलाराम पुत्र कुनाराम	1	डूंगरराम
2 पारी देवी पुत्री कुनाराम	2	छैलाराम
3 बालाराम पुत्र कुनाराम	3	माधुराम
4 शिवलाल पुत्र कुनाराम	4	राधेश्याम पि0 भीकाराम
5 सोनी देवी पुत्री कुनाराम जातियान जाट नि0 रेन्दडीतहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान)	5	सुआ पत्नि भीकाराम
	6	गटू
	7	भपु पुत्रिया भीकाराम
	8	मूलाराम
	9	मोहनलाल
	10	गीता
	11	तीजा
	12	सुन्दर
	13	सीता पिसरान भुराराम जातियान मेघवाल नि0 रेन्दड़ी, तह0 सोजत जिला पाली।
	14	कमला पत्नि घेवरराम जाति सरगरा नि0 आलावास, तह0 सोजत जिला पाली।

उप खण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

1. श्री महेन्द्र चौधरी एवं श्री भारतनाथ एवं श्री रविन्द्र प्रजापत अधिवक्तागण प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री अर्जूनसिंह राजपूरोहित अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 28.10.2021

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रेन्दड़ी, प0ह0 आलावास, तहसील सोजत में स्थित अप्रार्थीगण की कृषि जोत भूमि ख0न0 71 रकबा 1.6100 है0 एवं 66 रकबा 2.000 है0 बा0अ0 की जोत में से नया मार्ग अपनी खातेदारी कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 65 रकबा 1.7400 हैक्टर किस्म बा0अ0 तक जाने हेतु आशय रखते है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा नंबर 65 में आने–जाने अर्थात् आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 71 व 66 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीया के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया नियमानुसार रास्ते की डी0एल0सी0 राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा रेन्दड़ी, प0ह0 आलावास, तह0 सोजत, जिला पाली के अप्रार्थीगण की कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 71 व 66 में से 30 फुट चौड़ा रास्ता जो प्रा0 पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है, रास्ता घोषित किया जाकर प्रार्थीया की

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

खसराजात कृषि जोत भूमि खसरा नंबर 65 तक आने-जाने अर्थात् आवागमन हेतु रास्ता दिलाया जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 14 की तामिली रिपोर्ट बाद तामिली प्राप्त हुई, सा0मि0 है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 14 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा दिनांक 18.03.2021 को पेश किया, सा0मि0 किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रा0 पत्र पेश करने हेतु बार-बार अवसर दिये जाने पर भी जबाब पेश करने में विफल रहने से जबाब प्रा0 पत्र दिनांक 28.10.2021 को बन्द किया गया। तहसीलदार सोजत से दिनांक 26.10.2021 को प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है, बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। पटवारी आलावास भू0अ0 निरीक्षक सोजतरोड़ की बरूवे मौका रूबरू पक्षकारान/मौतबिरान तैयार मौका रिपोर्ट मय लाल स्याही दर्शित नजरी नक्शा तहसीलदार, सोजत द्वारा पत्रांक/राजस्व/2021/4256 दिनांक 26.10.2021 के जरिए प्रस्तुत वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीया ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रा0 पत्र एवं मौका रिपोर्टानुसार प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा संख्या 65 में आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 71 व 66 मे से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 सोजतरोड़ द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थीया पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि दिनांक 26.10.2021 को न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण 30/2021 में प्रार्थीगण छैलाराम व अन्य बनाम डूंगरराम व अन्य में ग्राम रेन्दड़ी में प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 65 में आवागमन हेतु रास्ता मय मौतबिरान रूबरू मौके पर पहुँचे। खसरा नंबर 65 में वर्तमान में मौके पर रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने ख0न0 65 में पहुचने हेतु ख0न0 306 राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ते तक आवागमन हेतु ख0न0 71 व 66 से रास्ता चाहा है। खसरा नंबर 306 से खसरा नंबर 65 में जाने के लिए खसरा नंबर 66 व 71 के माठ के पास पास रास्ता बना हुआ है। जो उनकी खातेदारी में होने के कारण बन्द कर दिया है। उपस्थित मौतबिरान के बताये अनुसार यह रास्ता काफी पुराने समय से माठ माठ चल रहा है। उक्त खसरे में आवागमन हेतु नजदीकी खसरे नंबर 71 रकबा 1.6100 है0 मे से (4 × 128 मीटर = 512 वर्गमी0 अर्थात् 0.0512 है0 × 161190/-रू0 प्रति0 है0 × 2 = **16506/- रू0)** तथा ख0न0 66 रकबा 2.000 है0 मे से (4 × 156 मीटर = 624 वर्गमी0 अर्थात् 0.0624 है0 × 161190/-रू0 प्रति है0 × 2 = **20117/- रू0)** प्रति कर राशि देय है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 71 व 66 से मौका

उप खण्ड अधिकारी

फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। वस्तुस्थिति मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा संलग्न पत्रावली है, अनुसार रास्ते की भूमि दिया जाना न्यायोचित अंकित किया है। मौका रिपोर्ट मय लाल स्याही से इंगित नजरी नक्शा संलग्न पत्रावली किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उपस्थित अधिवक्ता मय प्रार्थिया को सुना गया तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत मय नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थिया की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 चण्डावल, पटवारी हल्का चण्डावल की रिपोर्टानुसार प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 71 व 66 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार डी0एल0सी0 की दो गुणा देय प्रतिकर राशि, भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा रेन्दड़ी, प0ह0 आलावास, तह0 सोजत जिला पाली के खसरा नंबर 65 रकबा 1.7400 है0 किस्म बा0अ0 की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थीगण की ख0न0 71 व 66 रकबा क्रमशः 1.6100 व 2.000 है0 बा0अ0 कृषि भूमि में से सम्बद्ध निम्नांकित खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि ख0न0 71 रकबा 1.6100 है0 मे से (4 × 128 मीटर = 512 वर्गमी0 अर्थात् 0.0512 है0 × 161190/–रू0 प्रति0 है0 × 2 = **16506/– रू0)** तथां ख0न0 66 रकबा 2.000 है0 मे से (4 × 156 मीटर = 624 वर्गमी0 अर्थात् 0.0624 है0 × 161190/–रू0 प्रति0 है0 × 2 = **20117/– रू0)** डी0एल0सी0 161190 प्रति हैक्टर की दौगुणा राशि 36623/– रूपये (अक्षरे छतीस हजार छ सौ तैबीस रूपये) उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा जरिए डिमाण्ड ड्राप्ट करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

क0सं0	खातेदारो/काश्तकारो	ख0नं0	कुल रकबा	रास्ते की भूमि	प्रतिकर की

उप खण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

	के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	व किस्म	(है0) में	का रकबा है0 में	राशि रूपये में
1	डूंगरराम 1/14 हिस्सा	ख0न0 71 किस्म बा0आ0	1.6100 है0	4 × 128 मीटर = 512 वर्गमी0 अर्थात् 0.0512 है0	1179/–
2	छैलाराम 1/14 हिस्सा				1179/–
3	माधुराम 1/14 हिस्सा रहन 1/14 हिस्सा पूर्ण खाता एसबीआई सोजतरोड				1179/–
4	राधेश्याम पि0 भीकाराम 1/14 हिस्सा				1179/–
5	सुआदेवी पत्नि भीकाराम 1/14 हिस्सा				1179/–
6	गटू 1/14 हिस्सा				1179/–
7	भपु पुत्रिया भीकाराम 1/14 हिस्सा				1179/–
8	मूलाराम 1/12 हिस्सा				1376/–
9	मोहनलाल 1/12 हिस्सा				1376/–
10	गीता 1/12 हिस्सा				1376/–
11	तीजा 1/12 हिस्सा				1375/–
12	सुन्दर 1/12 हिस्सा				1375/–
13	सीता पिसरान भुराराम जातियान मेघवाल नि0 रेन्दडी, तह0 सोजत जिला पाली। 1/12 हिस्सा				1375/–
				योगः–	16503
14	कमला पत्नि घेवरराम जाति सरगरा नि0 आलावास, तह0 सोजत जिला पाली।	ख0न0 66 किस्म बा0अ0	2.000 है0	(4 × 156 मीटर = 624 वर्गमी0 अर्थात् 0.0624 है0	20117/– रू0
		योग :–			

तदानुसार राजस्व रेकर्ड, नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो–

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को सर इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया–

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.